

## प्रेस नोट दिनांक 18.09.2023

(1). आज दिनांक 18.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनांक 18.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 36 क्वार्टर देशी शराब व 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा आरक्षी अतुल. आरक्षी दिनेश यादव, महिला आरक्षी रचना प्रजापति द्वारा अभियुक्त सरिता निषाद पत्नी अखिलेश निषाद निवासी बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही आरक्षी साकिर अली द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र लहगुरिया निवासी सकरौहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 16 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्रा तथा उनके हमराही आरक्षी निशांत यादव, आरक्षी अजय वर्मा द्वारा अभियुक्त धनेश सिंह पटेल पुत्र रामआसरे निवासी सिकरी थाना राजापुर को 20 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम तथा उनके हमराही आरक्षी इंदल कुमार, महिला आरक्षी शिल्पा रंजन द्वारा अभियुक्ता मालती देवी पत्नी रामकल्याण निवासी ग्राम बरहाकोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामाधार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गणेश अग्रवाल पुत्र रामनारायण निवासी जगदीशगंज 2. इरसान पुत्र सकीक निवासी पुरानी बाजार 3. मुनेश पुत्र मुन्ना निवासी पुरानी बाजार 4. रामजीत निषाद पुत्र राजबहादुर निवासी कोठी

तालाब 5. विनय उर्फ कल्लू पुत्र लल्लू निवासी इन्द्रानगर मानिकपुर 6. रामजी चौरसिया पुत्र स्व0 झल्लू निवासी गांधीगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 25420/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 3580/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

1. मालफड़ 25420/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 3580/- रुपये

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. मुख्य आरक्षी संदीप देव
3. आरक्षी दीपान्कर सिंह
4. आरक्षी शिवम राजपूत
5. आरक्षी अमित द्विवेदी
6. आरक्षी रोहित यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मनोज पुत्र चुन्ना सिंह निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी**

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. वरि0उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी जलील अहमद
3. आरक्षी सूर्यकान्त यादव

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्दु द्वारा भोली-भाँली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. बद्री यादव पुत्र राममनोहर निवासी गुलाब पुरवा 2. भोले यादव उर्फ अवधेश पुत्र भगवानदीन निवासी अहिरन पुरवा मजरा भारतपुर 3. बीरेन्द्र सिंह उर्फ रामू ठाकुर पुत्र दादू सिंह निवासी अकबरपुर 4. कल्लू सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह 5. विजय सिंह पुत्र रामभवन 6. शिवप्रकाश पुत्र जगमोहन 7. पंजाबी सिंह पुत्र लालजी सिंह निवासीगण बीहर का पुरवा मजरा पहरा 8. धर्मेन्द्र पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रहलाद निवासी टिटिहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊ पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी तथा उनके हमराही आरक्षी विवेक कुमार द्वारा मु0अ0सं0 214/2023 धारा 376(3),506 भादवि0 व 4(2) पास्को एक्ट व 3(2)5 sc/st एक्ट के वांछित अभियुक्त कुशल पाल निषाद पुत्र भैरव प्रसाद ग्राम बेलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). निरीक्षक अपराध थाना मऊ श्री अभयराज सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी विवेक कुमार द्वारा मु0अ0सं0 215/23 धारा 354,506 भादवि0 7/8 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त रंजीत यादव पुत्र लवलेश यादव निवासी ग्राम मवई कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(8). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में गुमशुदा/खोये हुये को अपनों से मिलाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेश मुस्कान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बालक को 06 घण्टे के अन्दर बरामद कर उसके परिजनों से मिलाया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 18.09.2023 को वादी श्री रामसरन पुत्र मैयादीन निवासी तराव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट ने थाने पर सूचना दी कि उनकी पत्नी संपत ने पुत्र धर्मेश उम्र 14 वर्ष को पढ़ने को लेकर के दिनांक 17.09.2023 को 2:00 बजे दिन में डांट दी थी। जिससे उनका पुत्र गुस्सा होकर के शिवरामपुर की ओर चला गया था। खोजने के बाद भी नहीं मिला। वादी के तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर आज दिनांक 18.09.2023 को समय 11:33 बजे मु0अ0सं0 127/23 धारा 363 भादवि0 के अन्तर्गत गुमशुदगी पंजीकृत की गयी। गुमशुदा बालक की तलाश/बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुबेदार बिन्द द्वारा उ0नि0 अजहर जमाल को लगाया गया। उ0नि0 अजहर जमाल व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए गुमशुदा बालक धर्मेश को कस्बा बदौसा से समय करीब 16.30 बजे बरामद कर परिजनों को नियमानुसार सुपुर्द किया गया। बच को पाकर परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान चित्रकूट पुलिस को कहा धन्यवाद ।

बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना भरतकूप
2. आरक्षी अंकित राजपूत
3. आरक्षी संदीप लोधी

(9). आज दिनांक 18.09.2023 को चौकी प्रभारी सरैया श्री हारून राशिद खां द्वारा मु0अ0सं0 72/2023 धारा 457,380,411 भादवि से संबंधित अभियुक्त कल्लू रैकवार पुत्र भीखम रैकवार निवासी रामपुर कल्याण थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के घर पर माननीय न्यायालय से निर्गत धारा 82 CRPC की नोटिस चस्पा की गयी।